# FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट )
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0131 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/07/2024 18:43 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7A |
| 3 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 12 |
| 4 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 61 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 01/07/2024
   **Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 17:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:55 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/07/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/07/2024 18:43:04 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** POLICE THANA KHANDA FALSA, JODHPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   **Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ALMAAS

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NISHAR KHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1999 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | MASURIYA DALLE KHA KI CHAKKI, SINDHI BASTI JODHPUR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | MASURIYA DALLE KHA KI CHAKKI, SINDHI BASTI JODHPUR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIMALRAM | | पिता:DUGARRAM | 1. AARBI KI GHAFAN,BARMER,BINJRAD,BARMER,RAJASTHAN,INDIA |
| 2 | NARENDRA KUMAR | | पिता:BHAGWANARAM | 1. MANDOR ROAD,NAYA BAAS,BALSAMAND,JODHPUR,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
**(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 25,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवामें,सेवामें श्रीमान एडिशनल एसपी साहब एसीबी ऑफिस पाली- 2 विषय - रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने के सम्बंध में । महोदय,उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं अल्माश पुत्र निसार खां उम्र 25 वर्ष निवासी मसूरिया दल्लेखां की चक्की सिंधी बस्ती जोधपुर का रहने वाला हूं। मेरे काकाई भाई सलमान व मौसाई भाई जुनैज जो सिवांची गेट सिंधीयो का बास जोधपुर थाना खण्डाफलसा जोधपुर रहते है। दिनांक 20.06.2024 को रात करीब 10-11 बजे मेरे काकाई भाई सलमान व मौसाई भाई जुनैज का अमीन व गुलामनबी से लडाई झगडा हो गया था। झगडे के दौरान गुलामनबी की जांघ में चोट लग गई थी जिस पर गुलामनबी ने मेरे भाई सलमान व जुनैज पर खण्डाफलसा थाना में केस करवा दिया था। खण्डाफलसा थाना पुलिस ने मेरे भाई जुनैद व सलमान को उसी समय शांतिभंग में बंद कर दिया था जिसकी हमने अगले रोज जमानत करवा ली थी। मेरे भाईयो के खिलाफ मुकदमें के दौरान मौका देखने थानेदार मैडम देउ आई थी तथा कहने लगी कि तुम्हारे भाई के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज हुआ है उसने गुलामनबी को चाकू से जान से मारने की कोशिश की है इसलिए उन दोनो को जल्दी थाने पर लेकर आ जाना नही तो उनकी हालत खराब कर दूंगी। जिस पर मैं अगले रोज थाने पर गया तो पुलिस थाना खण्डाफलसा में मुझे कानि0 जयमल व नरेन्द्र सोंलकी मिले तथा बोले कि जुनैज व सलमान ने गुलामनबी को जान से मारने की कोशिश की है, मैडम 307 का मामला बना रही है। मैडम को रूपये देकर जैसे तैसे मामला सेटल कर लो। जिस पर कानि0 जैमलराम व नरेन्द्र मुझे देउ थानेदार मैडम के पास लेकर के पास लेकर गये तो थानेदार मैडम ने कहा कि अगर 50,000 रूपये दोगें तो मामला खत्म कर दूंगी या थाने पर ही जमानत लेकर आधा घण्टा में फ्री कर दूंगी। जिस पर मैनें मेडम को विनती की कि इतने पैसे मैं नही दे सकता हूं तो उन्होने मुझे लास्ट 25,000 रूपये देने का बोला तथा विश्वास दिलाया कि तेरे दोनो भाईयो को जमानत लेकर आधा घण्टा में फ्री दूंगी अगर तूने होशियारी की तो फिर दोनो की हाईकोर्ट तक जमानत नही होने दूंगी। तू दो चार दिन में ही पैसो की व्यवस्था कर लेना तथा जैमलराम या नरेन्द्र किसी को भी पैसे दे देना तथा दोनो भाईयो को लेकर आ जाना, आधा घण्टा में फ्री कर दूंगी। मैं थानेदार देउ मैडम, कानि0 जयमल व कानि0 नरेन्द्र को नाजायज रिश्वत नही देना चाहता हूं, उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी थानेदार देउ मैडम, कानि0 जैमलराम व कानि0 नरेन्द्र से किसी प्रकार का कोई लेन-देन बकाया नही है एवं न ही किसी प्रकार की आपसी रंजिश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे तथा मुझे न्याय प्रदान करावें। दिनांक -29.6.2024 प्रार्थी एस.डी. अल्माश मो0 ¯ कार्यवाही पुलिस दिनांक 29.06.2024 वक्त 05.30 पी. एम. दर्ज रहे कि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपनीय सूत्र सूचना के क्रम में ब्यूरो चौकी पाली द्वितीय से वक्त 12.30 पी0एम0 पर रवाना होकर जोधपुर आया हुआ था, इसी दौरान आज दिनांक 29.06.2024 को वक्त 03.24 पी0एम पर भ्रनिब्यूरो मुख्यालय, राजस्थान जयपुर के टोल फ्री नम्बर 1064 शाखा से गोपनीय कार्यवाही की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें परिवादी द्वारा ब्यूरो मुख्यालय पर की गई शिकायत के क्रम में अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वक्त 0326 पी0एम पर परिवादी श्री अल्माश के मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर ब्यूरो मुख्यालय पर की गई कार्यवाही के क्रम में रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिलकर देने के लिये कहा तो परिवादी ने दो घण्टे बाद अपने काम से फ्री होकर पुनः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करने का कहा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी की शिकायत के क्रम में अग्रिम गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय हाजा के श्री भवानी सिंह हैड कानि0 को कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रेकार्ड मय नये मेमोरी कार्ड लेकर पाली से जोधपुर आने व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करने के लिए निर्देशित किया। वक्त 0530 पी0एम0 पर परिवादी श्री अलमाश पूर्व के बताये स्थान पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित

आया तथा इसी दौरान निर्देशानुसार श्री भवानी सिंह हैड कानि0 मय कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रिकार्डर नये मेमोरी कार्ड सहित मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया। परिवादी श्री अलमाश ने एक लिखित रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की प्रस्तुत की जिसका मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से पूछताछ तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्य ही बताते हुए बताया कि मेरे भाईयो के खिलाफ दर्ज प्रकरण में जांच अधिकारी देउ थानेदार मैडम मेरे से रिश्वत राशि की मांग नही करेगी क्योकि मैडम जब मौका देखने आई थी तब मुझे पुलिस थाना खाण्डा फलसा बुलाया था ओर मैं जब पुलिस थाना में मैडम से मिलने गया तब देउ मैडम ने मेरे से रिश्वत राशि के 50,000 रूपये की मांग की। तत्पश्चात् मेरे द्वारा निवेदन करने पर 25,000 रिश्वत राशि देना तय हुआ तथा यह रिश्वत राशि थाने में मौजूद उनके स्टॉफ श्री नरेन्द्र कानि0 व श्री जैमलराम कानि0 से मिलकर उनके कहेनुसार करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि जैमलराम व नरेन्द्र कुमार जो कि मैडम द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि के संबध में वार्ता करेगें। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यो व परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से सर्वप्रथम रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन आवश्यक होने से उपस्थित श्री भवानी सिंह हैड कानि0 व परिवादी श्री अल्माश का आपस में परिचय करवाया। तत्पश्चात् गोपनीय कार्यवाही के संबध में परिवादी को समझाईश कर वक्त 0605 पी0एम0 पर श्री भवानी सिंह हैड कानि0 को गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही करने के लिए आवश्यक हिदायत कर कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय नये मेमोरी कार्ड श्री भवानी सिंह हैड कानि0 को सुपुर्द कर परिवादी श्री अल्माश के साथ रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के लिए पुलिस थाना खाण्डाफलसा की तरफ रवाना कर श्री भवानी सिंह हैड कानि0 को निर्देशित किया कि बाद सत्यापन के हालात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाये तथा जोधपुर से रवाना होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आवें। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य गोपनीय सूत्र सूचना में व्यस्त हुआ। समय 1030 पी0एम0 पर श्री भवानी सिंह हैड कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वॉटसअप कॉल वार्ता कर बताया कि निर्देशानुसार गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही करवाई गई तथा परिवादी द्वारा देउ थानेदार मैडम के कहेनुसार पुलिस थाना खाण्डा फलसा के स्टाफ श्री जैमलराम कानि0 व नरेन्द्र कानि0 मिले थे तो श्री मलराम कानि0 ने थानेदार मैडम के लिए 25,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि सोमवार दिनांक 01.07.2024 को लेकर बुलाना तय किया। तत्पश्चात् श्री भवानी सिंह हैड कानि0 को निर्देशित किया कि डिजीटल वॉयस रिकार्डर अपने पास सुरक्षित रखे तथा परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था करने के लिए कहे तथा दिनांक 01.07.2024 को नियत समय पर निर्देशित स्थान पर उपस्थित मिले। रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में लेन-देन की कार्यवाही दिनांक 01.07.2024 को तय होने से श्री भवानी सिंह हैड कानि0 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन का डिजीटल वॉयस रिकार्डर अपने पास सुरक्षित रखते हुए जोधपुर में ही मामुर रहने व अन्य गोपनीय सूत्र सूचना की अग्रिम कार्यवाही के संबध में निर्देशित किया। दिनांक 30.06.2024 को समय 09.30 पी0एम0 पर श्री भवानीसिंह हैड कानि0 पूर्व का निर्देशानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन के गोपनीय सत्यापन पश्चात् एवं अन्य सूत्र सूचना के संबध में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निवास पाली पर उपस्थित आया तथा पूर्व में दिया गया कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रेकार्डर मय मेमोरी कार्ड के बंद हालात में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। तत्पश्चात् बताया कि मैं श्रीमान के निर्देशानुसार दिनांक 29.06.2024 को आपके पास से रवाना होकर परिवादी के साथ परिवादी के वाहन से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के लिए पुलिस थाना खाण्डा फलसा की तरफ गया तो खाण्डा फलसा पुलिस थाना के पहले परिवादी श्री अल्माश के मोबाईल से श्री जैमलराम कानि0 से वार्ता करवाई तो श्री जैमलराम कानि0 ने पांचवी रोड के पास सुनील पान भण्डार के पास आकर मिलने के लिए कहा। मैनें इस वार्ता को भी कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर से रेकार्ड किया। तत्पश्चात् कुछ समय बाद मैं व परिवादी कानि0 जैमलराम के बताये स्थान पर पहुंचे तो कुछ समय पश्चात् श्री जैमलराम कानि0 व श्री नरेन्द्र कुमार पांचवी रोड सुनील पान भण्डार के पास एक बुलेट मोटरसाईकिल से आये तो मैनें कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर सुनील पान भण्डार की तरफ परिवादी के वाहन सहित रवाना किया तथा मैं अपनी उपस्थित छुपाते हुए दूर ही खडा रहा। कुछ समय पश्चात् रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने के बाद श्री जैमलराम कानि0 व नरेन्द्र कुमार कानि0 अपनी मोटर साईकिल से चले गये तो परिवादी मेरे पास आया तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मेरे को सुपर्दु किया जिसे मैनें बंद कर अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मैनें मेरे भाईयो के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में मदद करने के संबध में श्री जैमलराम कानि0 व नरेन्द्र कुमार कानि0 से वार्ता की तो श्री जैमलराम व श्री नरेन्द्र कुमार कानि0 ने मदद करने की ऐवज में देउ थानेदार मैडम के नाम से 25,000 रूपये रिश्वत की मांग की। परिवादी ने बताया कि मैं मांग सत्यापन की वार्ता सुनील पान भण्डार मेरे वाहन में बैठे कर रहा था कि तभी श्री नरेन्द्र कानि0 के मोबाईल पर उनके अधिकारी का कॉल आया तथा कानि0 जैमलराम व नरेन्द्र कुमार कानि0 को बारहवीं रोड की तरफ बुलाया जिस पर मेरी गाडी से ही हम तीनो बाहरवीं रोड की तरफ गये तथा कुछ पश्चात् सुनील भण्डार के पास वापस आ गये। उसके बाद जैमलराम व नरेन्द्र कुमार अपने मोटरसाईकिल लेकर चले गये तथा मैं आपके पास आ गया। परिवादी के बताये तथ्यो के क्रम में श्रीमान के निर्देशानुसार मन् हैड कानि0 ने मांग सत्यापन से संबधित रेकार्ड वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर सुना तो परिवादी के तथ्यो की

पुष्टि हुई। तत्पश्चात् मैं श्रीमान के निर्देशानुसर अन्य गोपनीय सूत्र सूचना संकलन के क्रम में जोधपुर मामुर रहा। ताबाद जोधपुर से रवाना होकर श्रीमान के समक्ष उपस्थित आया। श्री भवानी सिंह हैड कानि0 के बताये तथ्यो के क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी मांग सत्यापन संबधी रिकार्डिंग वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर को सुना गया तो बताये तथ्यो की ताईद हुई। परिवादी के बताये तथ्यो के क्रम में दिनांक 01.07.2024 को रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि के आदान प्रदान होना तय होने से ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर इस बाबत् कार्यालय हाजा का ब्यूरो स्टॉफ को सुबह जल्दी 0700 ए0एम0 पर कार्यालय उपस्थित आने के लिए निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही इमदाद हेतु अन्य ब्यूरो टीम की आवश्यकता होने से उच्चाधिकारीयो के निर्देशानुसार ब्यूरो चौकी जालोर के श्री अरविन्द कुमार पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता के ब्यूरो चौकी पाली द्वितीय पर सुबह जल्दी 0700 ए.एम0 पर उपस्थित आने के लिए निर्देशित किया गया तथा ब्यूरो चौकी पाली द्वितीय के स्टॉफ को भी कार्यालय में सुबह जल्दी स्टेण्ड टू रहने एवं तलब किये जाने पर अविलम्ब ब्यूरो चौकी द्वितीय पर उपस्थित आने के लिये निर्देशित किया गया। दिनांक 01.07.2024 समय 0700 ए0एम0 पर निर्देशानसार कार्यालय हाजा का ब्यूरो स्टॉफ कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा इमदाद हेतु निर्देशित किया गया ब्यूरो चौकी जालोर के पुलिस निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार मय जाप्ता व ब्यूरो चौकी पाली प्रथम से निर्देशानुसार श्री दशरथ सिंह कानि0 मय सरकारी टवेरा वाहन मय श्री अभयकुमार हैड कानि0 वाहन चालक भी चौकी हाजा पर उपस्थित आये। आयोजित ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहन की आवश्यकता होने से आयुक्त नगरपरिषद पाली व विकास अधिकारी पाली को पत्र जारी कर भिजवाया गया। समय 0800 ए0एम0 पर आयुक्त नगरपरिषद पाली एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली से अग्रेषित पत्र के क्रम में गोपनीय कार्यवाही हेतु गवाह श्री रविन्द्रपाल सिंह फायरमैन व श्री बाबुलाल मीणा टिन्डल नगरपरिषद पाली एवं श्री कैलाशचन्द्र मीणा कनिष्ठ सहायक व श्री प्रतापराम मीणा कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पाली से उपस्थित आये। समय 0930 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मालखाना प्रभारी श्री मोहनलाल हैड कानि0 से मालखाना का ताला खुलवाकर श्री दशरथ सिंह कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर फिनाफ्थलीन पाउडर को एक कागज के लिफाफे में डलवाकर कागज का लिफाफा बंद करवाकर श्री दशरथ सिंह कानि0 के पास रखवाया गया। तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री दशरथ सिंह से ही पुनः मालखाने में रखवाई जाकर मालखाना प्रभारी से मालखाना का ताला बंद करवाया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री रविन्द्रपाल सिंह व श्री बाबुलाल मीणा एवं ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, एवं ट्रेप कार्यवाही से संबधित आवश्यक सामग्री ओर उपकरण सहित मय कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं नये मेमोरी कार्ड के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो से मय चालक श्री सोहनलाल कानि0 के एवं अन्य टीम प्रभारी श्री अरविन्द पुलिस निरीक्षक, ब्यूरो स्टॉफ श्री रविन्द्र कुमार एएसआई, श्रीमति कौशल्या महिला कानि0, श्री मोटाराम कानि0, श्री गुलाब सिंह कानि0 को श्री अरविन्द कुमार निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से एवं सरकारी वाहन टवेरा से श्री लक्ष्मणदान एएसआई, श्री मोहनलाल हैड कानि0, श्री भवानीसिंह हैड कानि0, श्री दशरथ सिंह कानि0 मय फिनोफ्थलीन पाउडर के लिफाफे के, स्वतंत्र गवाह श्री कैलाशचन्द्र मीणा कनिष्ठ सहायक व श्री प्रतापराम मीणा कनिष्ठ सहायक मय चालक श्री अभय कुमार हैड कानि0 के वाहनो सहित ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी पाली से जोधपुर के लिये रवाना हुए। कार्यालय हाजा के श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक जो कि गोपनीय कार्यवाही के क्रम में जोधपुर ही गया हुआ है जिसको जोधपुर ही उपस्थित रहने व जोधपुर में अपना वाहन लेकर समय करीब 1200 बजे पांच बत्ती चौराहे पर मिलने के लिये निर्देशित किया गया। समय 1205 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त हमरायान के ट्रेप दल के सदस्यो सहित जोधपुर शहर के पांच बत्ती चौराहा पर पहुंचा, जहां पर निर्देशानुसार श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक अपने निजी वाहन से उपस्थित मिला। तत्पश्चात् परिवादी श्री अल्माश भी निर्देशानुसार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपने निजी वाहन से उपस्थित आया तथा साथ में एक अन्य व्यक्ति भी आया जिसके बारे में परिवादी श्री अल्माश से पूछने पर बताया कि यही मेरा मौसेरा भाई जुनैद है जिसके विरूद्ध पुलिस थाना खाण्डा फलसा में मुकदमा दर्ज है तथा इसी के मुकदमें में मदद करने की ऐवज में देउ मेडम व श्री जैमलराम कानिस्टेबल व श्री नरेन्द्र कुमार कानिस्टेबल रिश्वत राशि मांग रहै है। आज उन्होने इसको थाने पर बुलाया है इसलिए मैं इसको साथ लेकर आया हूं। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अन्य टीम प्रभारी श्री अरविन्द कुमार पुलिस निरीक्षक को जाब्ते सहित गोपनीय स्थान पर उपस्थिति छुपाते हुए अग्रिम आदेश के क्रम में मुकीम रहने के लिये निर्देशित किया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह स्वतंत्र गवाह बाबूलाल मीणा व रविन्द्रपाल सिंह, बोलेरो वाहन मय ट्रेप बॉक्स एवं ट्रेप कार्यवाही से संबधित आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी बोलेरो वाहन एवं टवेरा वाहन में बैठे ब्यूरो स्टॉफ को वाहनो सहित परिवादी व सहपरिवादी मय वाहन लेकर पांच बत्ती चौराहे पर गोपनीय स्थान जहां पर लाईट पानी की व्यवस्था होना सुनिश्चित कर उक्त स्थान पर पहुंचा। समय 1215 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ट्रेप पार्टी के सदस्यो एवं स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी व सह परिवादी एवं ट्रेप कार्यवाही के उपकरणो सहित लाईट पानी सुविधा युक्त गोपनीय स्थान पर पहुंचा, जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहन को परिवादी, सहपरिवादी का आपस में परिचय करवाया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा ब्यूरो में की गई रिपोर्ट को स्वतंत्र गवाहान को पढाई गई तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से संबधित मुख्य मुख्य अंशो को लेपटॉप के माध्यम से सुनाया गया।

तत्पश्चात् गवाहान ने परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर तथा परिवादी से पूछताछ कर रिपोर्ट के क्रम में की जाने वाली कार्यवाही की तस्सली कर ब्यूरो की कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी तथा परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहो ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् परिवादी श्री अल्माश को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,000 रूप्ये पेश करने का कहा तो परिवादी श्री अल्माश ने अपने पास से निकाल कर 25,000 रूप्ये जो कि 500-500 रूप्ये के 50 नोट पेश किये। उक्त नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित करवाये जाकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर को श्री दशरथ सिंह कानि0 के साथ हमराह लाये गये कागज के लिफाफे में से निकाल कर लगवाया जाकर सोडियम का्ॅरबोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर का दृष्टान्त देकर इसकी क्रिया प्रतिकिया के बारे में हाजरीन को समझाया गया। इस कारवाई से सबंधित फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार कर सबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् परिवादी को रिश्वत राशि आदान-प्रदान होने के पश्चात गोपनीय ईशारा गाडी में बैठे हो तो खिडकी से हाथ बाहर निकालकर हाथ हिलाकर ईशारा करने व गाडी से बाहर हो तो अपने सिर पर दो-दिन बार हाथ फैर कर ईशारा करने की समझाईश की तथा उक्त ईशारे के बारे में ब्यूरो स्टॉफ एवं स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया गया। तत्पश्चात् रिश्वत राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री दशरथ सिंह कानि0 को इसी स्थान से ही सीधे ब्यूरो चौकी पाली उपस्थिति हेतु रवाना किया गया।समय 0115 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टॉफ श्री भवानीसिंह हैड कानि0 एवं परिवादी श्री अल्माश व सह परिवादी श्री जुनैज के परिवादी के वाहन से मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय नये मेमोरी कार्ड के रिश्वत राशि लेन-देन हेतु आरोपी श्री जैमलराम से मिलने के लिये पुलिस थाना खाण्डा फलसा की तरफ रवाना हुआ तथा अन्य ब्यूरो दल बोलरो वाहन के सदस्य एवं टवेरा वाहन के सदस्यो एंवम स्वतंत्र गवाहन को वाहनो सहित मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पीछे पीछे आने के लिये निर्देशित किया। समय 0136 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की उपस्थिति ज्ञात करने के लिये परिवादी श्री अल्माश के मोबाईल से आरोपी जैमलराम के मोबाईल पर कॉल कर वार्ता करवाई तो आरोपी श्री जैमलराम ने स्वंय का कानून व्यवस्था डयूटी में कलेक्ट्रेट परिसर में होना बताया तथा परिवादी को भी कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे वाले हिस्से पर मिलने के लिये बुलाया। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टॉफ श्री भवानी सिंह हैड कानि0 व परिवादी व सह परिवादी सहित परिवादी के वाहन से खाण्डा फलसा जाते हुए बीच रास्ते से ही कलेक्ट्रेट परिसर के पिछले हिस्से की तरफ रवाना हुआ तथा ट्रेप दल के सदस्यो में से श्री अवतार सिंह को स्वंय का वाहन लेकर लक्ष्मणदान एएसआई एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर कलेक्ट्रेट परिसर वाले हिस्से पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आने के लिये निर्देशित किया एवं अन्य ट्रेप दल को अपने अपने वाहनो में ही पावटा चौराहे के आस पास गोपनीयता बरतते हुए अग्रिम आदेश तक मुकीम रहने के लिये निर्देशित किया। समय 0205 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री भवानी सिंह हैड कानि0 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर, एवं परिवादी अल्माश व सह परिवादी जुनैज के परिवादी के वाहन सहित कलेक्ट्रेट परिसर के पास मिर्धा सर्किल से शिप हाउस की तरफ जाने वाली रोड के पूर्व दिशा की दुसरी गली में थोडा अन्दर पहुंचे, जहां पर परिवादी के वाहन को खडा कर आरोपी के आने के इतंजार में मुकीम रहे। कुछ समय पश्चात निर्देशानुसार श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक अपने निजी वाहन सहित श्री लक्ष्मणदान एएसआई व स्वतंत्र गवाह श्री बाबुलाल मीणा एवं श्री रविन्द्रपाल सिंह के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आये जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त चारो को इनके निजी वाहन में बैठकर परिवादी के वाहन से करीब 25 मीटर दुरी पर एक तरफ रोड के किनारे गाडी खडी कर अग्रिम आदेश के इंतजार में मुकीम किया। समय 0226 पी0एम0 पर परिवादी श्री अल्माश के मोबाईल पर आरोपी श्री जैमलराम का कॉल आया तथा उसकी लोकेशन पूछी तो परिवादी ने अपनी लोकेशन बताई जिस पर आरोपी परिवादी से मिलने के लिये आने की सूचना पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को रिश्वत राशि लेन-देन की आवश्यक हिदायत कर कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रेकार्डर चालू कर लेन-देन की वार्ता को रिकार्ड करने के निर्देश देकर परिवादी व सह परिवादी को परिवादी के वाहन में ही बैठा रहने दिया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह भवानी सिंह हैड कानि0 परिवादी की गाडी से करीब 40 फीट दुरी पर गोपनीयता बरतते हुए परिवादी की गाडी को देखते हुए पास ही गली में छुपाव हासिल करते हुए मुकीम रहे तथा अन्य टीम सदस्य जो कि श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक के निजी वाहन में गोपनीय ईशारे के इंतजार में मुकीम थे जिनको भी सतर्क रहने व आरोपी श्री जैमलराम परिवादी से मिलने के लिये आने की सूचना मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि परिवादी द्वारा रिश्वत राशि आदान-प्रदान के पश्चात पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया जायेगा जिसको देखने का प्रयास करे तथा ईशारा मिलते ही आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें । तत्पश्चात् समय करीबन 0255 पी.एम. पर परिवादी श्री अल्माश ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपनी गाडी में ड्राईविंग सीट पर बैठे हुए साईड की खिडकी से हाथ बाहर निकाल कर हाथ को दो-तीन बार हिलाकर रिश्वत राशि आदान-प्रदान का गोपनीय ईशारा किया। जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री भवानी सिंह हैड कानि0 द्वारा परिवादी की गाडी के पीछे छुपाव रखते हुए गोपनीय ईशारा देखा। परिवादी का ईशारा मिलने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री भवानी सिंह हैड कानि0 के परिवादी की गाडी की तरफ रवाना हुआ तथा परिवादी की गाडी के पास पहुंचा, इतने में

अन्य ब्यूरो टीम के सदस्य व स्वतंत्र गवाहन भी गोपनीय ईशारा देखकर वाहन सहित मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास तुरन्त पहुंचे तथा वाहन से उतर कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास परिवादी की गाडी के पास आ गये। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को पूर्व में दिया गया डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने कब्जे में रखा। तत्पश्चात् परिवादी ने परिवादी की गाडी के पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही जैमलराम है जिसने अभी-अभी रिश्वत राशि अपने हाथ से प्राप्त कर अपनी पेन्ट की बांयी जेब में रखे है। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री भवानी सिंह हैड कानि0 ने परिवादी की गाडी के पीछे के दोनो साईड के दरवाजे अलग-अलग खोले तो इतने में परिवादी के गाडी के पीछे की सीट पर बैठे हुए उक्त व्यक्ति जैमलराम ने अपनी पेन्ट की बांयी जेब से रिश्वत राशि के रूपये निकाल कर गाडी के दरवाजे से बाहर फैंक दिये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उस व्यक्ति को आने के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पता जैमलराम पुत्र श्री डुगरराम उम्र 29 वर्ष जाति मेघवाल निवासी आरबी की गफन पुलिस थाना बिजराड तहसील चौहटन जिला बाडमेर हाल कानिस्टेबल नं0 2630 पुलिस चौकी बाईजी आश्रम पुलिस थाना खाण्डा फालसा जिला जोधपुर पूर्व आयुक्तालय जोधपुर होना बताया। तत्पश्चात् आरोपी श्री जैमलराम के दाहिने हाथ को कलाई के उपर से श्री लक्ष्मणदान एएसआई व बांये हाथ को कलाई से उपर से श्री भवानी सिंह हैड कानि0 से सुरक्षा की दृष्टि से पकडवाये तथा श्री जैमलराम द्वारा फैंकी गई रिश्वत राशि को हमराह उपस्थित गवाह श्री बाबुलाल मीणा से एकत्रित करवाये जाकर सुरक्षा की दृष्टि से गवाह बाबुलाल मीणा को सम्भलाये। परिवादी श्री अल्माश ने बताया कि श्री जैमलराम कानि0 ने अभी फोन पर नरेन्द्र कानि0 से बात की थी, जिसने जैमलराम को रूपये लेने का कहा है। तत्पश्चात् रिश्वत राशि आदान-प्रदान स्थल सार्वजनिक स्थल होने से व आवागमन का आम रास्ता होने से इस स्थान पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नही होने से परिवादी अल्माश व इसके मौसरे भाई जुनैज एवं स्वतंत्र गवाह रविन्द्रपाल सिंह फायरमैन को ब्यूरो स्टॉफ श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक के निजी वाहन से तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दस्तायाब शुदा श्री जैमलराम, ब्यूरो स्टॉफ श्री भवानी सिंह हैड कानि0, श्री लक्ष्मणदान एएसआई व स्वतंत्र गवाह श्री बाबुलाल मीणा मय बरामद रिश्वत राशि के परिवादी के वाहन से सर्किट हाउस जोधपुर रवाना हुआ तथा अन्य ब्यूरो टीम श्री अरविन्द कुमार पुलिस निरीक्षक को पुलिस थाना खाण्डा फलसा से श्री नरेन्द्र कुमार कानि0 एवं परिवादी के भाईयो के प्रकरण से संबधित पत्रावली दस्तयाब करने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात् वक्त 0318 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त हमरायान के अग्रिम कार्यवाही हेतु सर्किट हाउस जोधपुर पहुंचा तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु सर्किट हाउस मैनेजर से एक कमरा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम इश्यू करवाकर अग्रिम कार्यवाही के लिए सर्किट हाउस मैनेजर से सहमति ली। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दस्तयाबशुदा श्री जैमलराम एवं ब्यूरो स्टॉफ व स्वतंत्र गवाह सर्किट हाउस के कमरा नं0 29 में आये। तत्पश्चात् दस्तयाब शुदा श्री जैमलराम को ब्यूरो स्टॉफ श्री लक्ष्मणदान एएसआई एवं श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक को सुरक्षा की दृष्टि से संभलाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री भवानी सिंह हैड कानि0 श्री अवतारसिंह के निजी वाहन से पुलिस थाना खाण्डा फलसा की तरफ रवाना हुआ। बीच रास्ते में ही अन्य टीम प्रभारी श्री अरविन्द कुमार पुलिस निरीक्षक ने जरिये मोबाईल बताया कि पुलिस थाना खाण्डा फलसा से श्री नरेन्द्र कुमार कानि0 व परिवादी के भाईयो के प्रकरण की पत्रावली दस्तयाब कर ली गई है तथा सर्किट हाउस जोधपुर के लिए रवाना हो चुका हूं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीच रास्ते से ही पुनः सर्किट हाउस उपस्थित आया। चूंकि श्री जैमलराम कानि0 ने परिवादी श्री अल्माश से रिश्वत राशि उसके वाहन में बैठकर अपने हाथो से प्राप्त कर अपने पहने हुए पेन्ट की बांयी जेब में रखी, जिसे एसीबी की भनक लगने पर एसीबी टीम परिवादी के वाहन के पास पहुंच कर वाहन के पीछे का दरवाजा खोलने पर श्री जैमलराम ने रिश्वत राशि अपनी जेब से निकाल कर वाहन के पीछे के दरवाजे से ब्यूरो जाब्ता व स्वतंत्र गवाहन के सामने ही फैंक दी थी, जो स्वतंत्र गवाह श्री बाबुलाल मीणा द्वारा एकत्रित करवाये जाकर सुरक्षा की दृष्टि से स्वतंत्र गवाह श्री बाबुलाल मीणा के कब्जे में रखवाई गई। दस्तयाबशुदा श्री जैमलराम कानि0 द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथो से प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखी जिससे श्री जैमलराम के हाथो का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर धोवन की कार्यवाही शुरू की गई। इसी दौरान अन्य टीम प्रभारी श्री अरविन्द कुमार पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना खाण्डा फलसा से श्री नरेन्द्र कुमार कानि0 नं0 41 व परिवादी के भाईयो के दर्ज प्रकरण की पत्रावली लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आये। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री नरेन्द्र कुमार कानिस्टेबल को अपना व हमरायान का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भगवानाराम उम्र 26 वर्ष जाति दमामी निवासी नया बास बालसंमद मण्डोर रोड जोधपुर हाल कानिस्टेबल नं0 41 पुलिस चौकी उम्मेद अस्पताल पुलिस थाना खाण्डा फलसा जोधपुर पूर्व आयुक्तालय जोधपुर होना बताया। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से प्लास्टिक की यूज एण्ड थ्रो दो साफ गिलासों में पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर इस पानी में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री जैमलराम कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलिया एवं अंगुष्ठ को उक्त रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी झांईदार हो गया। जिसे सभी

हाजरीन ने स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भर सील चिट कर चिट पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री जैमलराम कानि0 के बांये हाथ की अंगुलिया एवं अंगुष्ठ को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भर कर सील चिट कर चिटों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री जैमलराम द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पेन्ट की जेब में रखने से पेन्ट की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से पुलिस थाना खाण्डा फलसा थानाधिकारी को कॉल कर श्री जैमलराम के पहनने के लिए एक लोअर मंगवाया जाकर आरोपी के पहनी हुई पेन्ट ग्रे कलर को उतरवाकर धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से प्लास्टिक की यूज एण्ड थ्रो एक नई गिलास में पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर इस पानी में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी श्री जैमलराम कानि0 के पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भर सील चिट कर चिट पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी.-1 व पी.-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् उक्त पेन्ट की जेब को सुखाकर पेन्ट के साईड की बांयी जेब के अन्दर की तरफ सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन्ट को सफेद कपड़े की एक थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क 'पी" अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् रिश्वत राशि के नोट जो कि आरोपी द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् ब्यूरो टीम की भनक लगने पर अपनी जेब से निकाल कर फेक दिये थे जहां से स्वतंत्र गवाह श्री बाबुलाल मीणा द्वारा एकत्रित करवाये जाकर स्वतंत्र गवाह श्री बाबुलाल मीणा के पास सुरक्षा की दृष्टि से रखवाये गये। रिश्वत राशि फैंका गया स्थान आम रास्ता व रेंतीला होने से उक्त स्थान का धोवन लिया जाना संभव नही होने से धोवन नही लिया गया। स्वतंत्र गवाह श्री बाबुलाल मीणा के पास रखवाई गई रिश्वत राशि को श्री बाबुलाल मीणा के पास से निकलवाकर उक्त नोटों को स्वतंत्र गवाहन से गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के कुल 50 नोट राशि 25,000 रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) पाए गए। जिस पर उपस्थित गवाह श्री रविन्द्रपाल सिंह को पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी सुपुदर्गी नोट की प्रति देकर नोटों के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। नोटों के नम्बर निम्नानुसार है -(1) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 सी एन 216713 (2) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 एन क्यू 359006 (3) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5बी यू 091061 (4) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 टी एच 385152 (5) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 डी सी 370571 (6) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 एन एन 146861 (7) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 क्यू सी 340768 (8) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 एन एच 339204 (9) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 एन एच 339203 (10) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 एन एच 339202 (11) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 एन एच 339201 (12) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 ई एल. 538411 (13) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 यू के.956947 (14) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0पी ए. 332277 (15) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 सी आर 661974 (16) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5ए पी 886629 (17) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 ए एम. 041705 (18) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 डब्ल्यू ए 885906 (19) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 डी सी 873865 (20) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 एफ ए 737048 (21) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 एमडी 303300 (22) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 ए बी. 513632 (23) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 डब्ल्यू टी 682987 (24) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 सी डब्ल्यू 354702 (25) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 सी आर 967596 (26) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 बी ई 268008 (27) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6 पी एम 595354 (28) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 एच ई. 687292 (29) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 बी ए 542523 (30) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 आर एस 109154 (31) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 आर एस 109155 (32) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 डब्ल्यू डी 724331 (33) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 ई ए 723314 (34) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 डब्ल्यू एम 676377 (35) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 के ए.733447 (36) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 यू पी. 605907 (37) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 एफ बी 229694 (38) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 टी एच 590632 (39) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 ई डब्ल्यू 525207 (40) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 सी डब्ल्यू 232659 (41) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 एन क्यू 584508 (42) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6डी ई 064167 (43) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 ई डब्ल्यू 753379 (44) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 एच एच 075441 (45) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 एच पी 600783 (46) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 ए टी. 732414 (47) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 क्यू एस 215823 (48) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 ई

वी. 732898 (49) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 एफ ए 982837 (50) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 यू एफ 936343 उक्त रिश्वत राशि के नोटों को कपड़े की एक थैली में सील्ड कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गए। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री जैमलराम से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर बताया कि मैनें कोई रिश्वत राशि नही ली है, मैनें अल्माश को मना किया था लेकिन अल्माश के भाईयो के खिलाफ प्रकरण में मदद करने का कहने पर मैनें साथी नरेन्द्र कुमार कानि0 के कहेनुसार जांच अधिकारी देउ मैडम के लिए उक्त रिश्वत राशि ली थी जो रूपये मैनें आपके आने पर डर के मारे जेब से निकाल कर गाडी से बाहर फैंक दिये थे। आरोपी श्री जैमलराम को दिनांक 29.06.2024 को शाम के समय परिवादी श्री अल्माश से मिलने व उसके भाईयो के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में मदद करने की ऐवज में देउ मैडम के लिए रिश्वत राशि की मांग की गई थी, के बारे में पूछने पर श्री जैमलराम ने बताया कि दिनांक 29.06.2024 को शाम के समय मैं व नरेन्द्र कुमार सुनील पान भण्डार के पास श्री अल्माश से मिले थे, तब अल्माश ने अपने भाईयो के प्रकरण में मदद करने की बात की तो मैनें और नरेन्द्र ने प्रकरण में गैर जमानती धारा नही लगाने एवं जमानत मुचलके भर कर तत्काल फ्री करने की ऐवज में देउ मेडम के लिये रिश्वत राशि की मांग की थी। इस संबध में श्री नरेन्द्र कुमार कानि0 को भी पूछने पर उसने भी श्री जैमलराम द्वारा बताये गये उक्त तथ्यो के ताईद में तथ्य बताये। तत्पश्चात् पास ही खडे सह परिवादी श्री जुनैज ने बताया कि मेरे व सलमान के खिलाफ पुलिस थाना खाण्डा फलसा में दर्ज मुकदमें की जांच देउ मैडम द्वारा की जा रही है, देउ मैडम मौका देखने आई तब मेरे मौसरे भाई श्री अल्माश से मेरे मुकदमें में मदद करने की ऐवज में रिश्वत की मांग की थी, तो यह बात मेरे भाई अल्माश ने मुझे बताई तो मैनें रिश्वत देने से इन्कार किया तथा मेरे भाई को इस संबध में कार्यवाही करने का कहा। जिसके लिए मेरे भाई अल्माश ने एसीबी में शिकायत की थी। जिस पर आप द्वारा शिकायत के क्रम में रिश्वत राशि का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो मेरे भाई अल्माश से कानि0 श्री जैमलराम व श्री नरेन्द्र कुमार कानि0 ने रिश्वत की मांग की थी जो आज दिनांक 1 जुलाई 2024 को रिश्वत लेते हुए पकडवाने की कार्यवाही के दौरान मैं मेरे भाई अल्माश की गाडी में था, तब कानिस्टेबल श्री जैमलराम ने मेरे भाई अल्माश के मोबाईल पर कॉल करके हमारी उपस्थिति की जानकारी कर हमारे पास आया तथा हमारी गाडी में पीछे की सीट पर बैठा। इस दौरान मेरे भाई अल्माश ने मेरे विरूद्ध दर्ज मुकदमें के संबध में बातचीत की तो जैमलराम कानि0 ने मेरे मुकदमें मे मदद करने की बात कर पहले तो थाने में चल कर रिश्वत देने की बात कही। लेकिन बाद में नरेन्द्र कुमार कानि0 से फोन पर वार्ता करने पर उसके द्वारा सहमति देने पर श्री जैमलराम ने रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पेन्ट की बांयी जेब में रख ली तथा एसीबी टीम को गाडी के पास आया देखकर रिश्वत राशि अपनी जेब से निकाल कर गाडी के बाहर फैंक दी। परिवादी श्री अल्माश ने सहपरिवादी श्री जुनैज के तथ्यो की ताईद की। तत्पश्चात् पुलिस थाना खाण्डा फलसा से दस्तयाब कर लायी गई मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली में कुल पृष्ठ 01 से 30 तक होना पाया गया जिसमें पृष्ठ संख्या 01 हस्तलिखित रिपोर्ट व अन्य पृष्ठो में बयान गवाहन, एमएलसी रिपोर्ट, नक्शा मौका, रोजनामचा रपट, गवाहान बंधपत्र एवं गवाहो के आईडी प्रूफ की छायाप्रतिया लगी हुई है तथा उक्त प्रकरण का अनुसंधान उप निरीक्षक देउ द्वारा किया जाना पाया गया है। उक्त पत्रावली परिवादी के कार्य से संबधित होने से थानाधिकारी पुलिस थाना खाण्डा फलसा को तलब कर पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई तथा मूल पत्रावली थानाधिकारी श्री महेशचन्द्र गुर्जर पुलिस निरीक्षक को पुनः सुपुर्द की जाकर फर्द सुपुर्दगी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त की रिकार्ड करवाई गई वार्ता जो कि कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में है जिसे चालू कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रेकार्ड वार्ताओ में आरोपी श्री जैमलराम द्वारा अपने साथी नरेन्द्रकुमार के कहेनुसार रिश्वत राशि प्राप्त कर सह परिवादी जुनैज को पुलिस थाना खाण्डा फलसा भिजवाने का कहने के तथ्य प्रकट होते है । उक्त वार्ता से स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री जैमलराम व सह आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार ने एक राय होकर आपसी मिलीभगत कर परिवादी के भाईयो के विरूद्ध पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में मदद करने की ऐवज में जांच अधिकारी देउ उप निरीक्षक पुलिस के नाम से रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य स्पष्ट प्रकट होते है। इस प्रकार रिकार्ड वार्ताओ के विश्लेषण एवं परिवादी के भाईयो के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से देउ उप निरीक्षक पुलिस की भूमिका संदिग्ध होने के तथ्य प्रकट होते है क्योकि रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान मोबाईल पर आरोपी श्री जैमलराम की देउ उप निरीक्षक पुलिस से वार्ता होती है तो इस वार्ता में देउ उप निरीक्षक पुलिस आरोपी जैमलराम कानिस्टेबल को सह परिवादी जुनैज व उसके साथी सलमान को थाने में लाकर आधे घण्टे में फ्री करने का कहती है तथा सत्यापन वार्ता के दौरान जैमलराम कानिस्टैबल परिवादी अल्माश से रिश्वत राशि देउ उप निरीक्षक पुलिस द्वारा तय किया जाना बताता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपीगण द्वारा रिश्वत मांग सबंधी कारवाई देउ उप निरीक्षक पुलिस के कहने पर ही की जा रही थी तथा इसी के लिए देउ उप निरीक्षक पुलिस सह परिवादी जुनैज व उसके साथी सलमान को जल्दी फ्री करने के लिये कह रही थी। इस प्रकार के तथ्यो से देउ उप निरीक्षक की संलिप्तता की भूमिका के संबध में तथ्य विस्तृत अनुसंधान से उजागर होगें। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से पाया गया कि परिवादी श्री अल्माश के मौसेरे भाई जुनैज व काकाई भाई सलमान के विरूद्ध पुलिस थाना खाण्डा फलसा में दर्ज प्रकरण संख्या 76/2024 में मदद करने एवं अनुसंधान में गैर

जमानती धारा नही जोडने व जमानत मुचलके भर जल्दी फ्री करने की ऐवज में जांच अधिकारी देउ उपनिरीक्षक पुलिस के लिए आरोपी श्री जैमलराम कानिस्टेबल एवं श्री नरेन्द्र कुमार कानिस्टेबल ने परिवादी श्री अल्माश से रिश्वत राशि की मांग की तथा मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि आरोपी श्री जैमलराम ने सहआरोपी श्री नरेन्द्र कुमार के कहेनुसार प्राप्त की जो दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री जैमलराम कानिस्टेबल के कब्जे से बरामद हुई, जिससे आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 भारतीय न्याय संहिता का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। आरोपीगण श्री जैमलराम कानिस्टेबल व श्री नरेन्द्र कुमार कानिस्टेबल द्वारा किये गये जुर्म पर पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर पृथक-पृथक फर्द गिरफ्तारियां तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई तथा दोनो आरोपीगण के मोबाईल प्रकरण के अनुसंधान मे वांछित होने से फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी से ही जब्त किया गया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया जो अनुसंधान हेतु खुली हालात मे रखा गया। समय-1035 पी0एम0 पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाना शेष होने से रिश्वत राशि मांग संबंधी रिकार्डिंग वार्ता दिनांक 29.06.24 को कार्यालय हाजा के रिकार्डर से रिकॉर्ड करवाई गई थी, जो रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त मैमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित है। जिसे कार्यालय के लेपटॉप से जोडकर मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को रूबरू गवाहान एवं परिवादी के कार्यालय के लेपटॉप के इनबिल्ट स्पीकर व सोफ्टवेयर की मदद से सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.07.24 वक्त 225 एएम तक पूर्ण कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। मेमोरी कार्ड में रिकार्ड मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप मे फोल्डर बना कर आईओ एवं आरोपियो की प्रति बनाये जाने हेतु कोपी किया गया तथा मूल मैमोरी कार्ड को सफेद कपडे़ की थैली मे सील मोहर कर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। सील्डशुदा मूल मैमोरी कार्ड को कब्जा एसीबी लिया गया। समय-245 ए.एम.पर रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त के वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाना शेष होने से रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त की रिकार्डिंग वार्ता दौराने कार्यवाही दिनांक 01.07.24 को कार्यालय हाजा के रिकार्डर से रिकॉर्ड करवाई गई थी, जो रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित है। उक्त रिकॉर्डर मे से मैमोरी कार्ड निकालकर मैमोरी कार्ड को लेपटॉप से जोडकर मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को रूबरू गवाहान एवं परिवादी व सह परिवादी के लेपटॉप के इनबिल्ट स्पीकर व सोफ्टवेयर की मदद से सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त 0700 एएम तक पूर्ण कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप मे फोल्डर बना कर आईओ एवं आरोपियां की प्रति बनाये जाने हेतु कोपी किया गया तथा मूल मैमोरी कार्ड को सफेद कपडे़ की थैली मे सील मोहर कर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। सील्डशुदा मूल मैमोरी कार्ड को कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगण श्री जैमलराम कानिस्टेबल एवं श्री नरेन्द्र कुमार कानिस्टेबल दोनो आपस मे एक राय होकर इनके द्वारा परिवादी श्री अल्माश के मौसेरे भाई जुनैज व काकाई भाई सलमान के विरूद्ध पुलिस थाना खाण्डा फलसा में दर्ज प्रकरण संख्या 76/2024 में मदद करने एवं अनुसंधान में गैर जमानती धाराएं नही जोडने व जमानत बन्धपत्र भरकर जल्दी फ्री करने की ऐवज में जांच अधिकारी देउ उप निरीक्षक पुलिस के लिए परिवादी श्री अल्माश से रिश्वत राशि की मांग की तथा मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि सह आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार के कहेनुसार प्राप्त की, जो दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री जैमलराम कानिस्टेबल के कब्जे से बरामद हुई, जिससे आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 भारतीय न्याय संहिता का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। इस प्रकार आरोपीगण श्री जैमलराम पुत्र श्री डुगरराम उम्र 29 वर्ष जाति मेघवाल निवासी आरबी की गफन पुलिस थाना बिजराड तहसील चौहटन जिला बाडमेर हाल कानिस्टेबल नं0 2630 पुलिस चौकी बाईजी आश्रम पुलिस थाना खाण्डा फालसा जिला जोधपुर पूर्व आयुक्तालय जोधपुर व श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भगवानाराम उम्र 26 वर्ष जाति दमामी निवासी नया बास बालसंमद मण्डोर रोड जोधपुर हाल कानिस्टेबल नं0 41 पुलिस चौकी उम्मेद अस्पताल पुलिस थाना खाण्डा फलसा जोधपुर पूर्व आयुक्तालय जोधपुर का उक्त आपराधिक कृत्य अन्तर्गत 7, 7(ए), 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशांधित 2018) एवं 61 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत प्रथम दृष्ट्या दण्डनीय अपराध कारित करना पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिवेदन वास्ते क्रमांकन श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अशा) की सेवामें सादर प्रेषित है। (खींवसिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-द्वितीय .........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री खींव सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1- श्री जैमलराम पुत्र श्री डुगरराम उम्र 29 वर्ष निवासी आरबी की गफन पुलिस थाना बिजराड तहसील चौहटन जिला बाडमेर हाल कानिस्टेबल नं0 2630 पुलिस चौकी बाईजी आश्रम पुलिस थाना खाण्डा फालसा जिला जोधपुर पूर्व आयुक्तालय जोधपुर व 2-श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भगवानाराम उम्र 26 वर्ष निवासी नया बास बालसंमद मण्डोर रोड जोधपुर हाल कानिस्टेबल नं0 41 पुलिस

चौकी उम्मेद अस्पताल पुलिस थाना खाण्डा फलसा जोधपुर पूर्व आयुक्तालय जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री ,गोरधनराम उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 589 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 678-81 दिनांक 02.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2 पुलिस उपायुक्त पूर्व आयुक्तालय जोधपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-द्वितीय । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** gordhan ram **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**
**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/07/2024 16:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** Vishanaram
**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)
**No(सं.):**

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1995 | | | | |
| 2 | Male | 1998 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गुदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)